धनबाद समाहरणालय (कल्याण शाखा)

अति अल्पकालीन

–: निविदा :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये पुस्तक अधिकोष की स्थापना हेतु पुस्तकों (चिकित्सा एवं प्रावैधिकी कोर्स के लिये) की आपूर्ति के लिये मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है ।

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत निबंधित प्रतिष्ठानों से मुहरबंद निविदा दिनांक–26/09/15 को पुर्वाह्न 11.30 बजे तक कल्याण शाखा, धनबाद में आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक–26/09/15 को अपराह्ण के 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा निविदादाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा की शर्ते झारखण्ड सरकार के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in अथवा www.dhanbad.nic.in पर प्राप्त किया जा सकता है।

11/09/15 जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद ।	11/09/15 उप विकास आयुक्त, धनबाद ।

धनबाद समाहरणालय (कल्याण शाखा)
निविदा की शर्ते :

1. निविदा के साथ निविदादाताओ को आयकर, दुकान निबंधन प्रमाण पत्र की अद्यतन छाया प्रति एवं पैन संख्या की छाया प्रति तकनिकी निविदा के लिफाफे एवं पुस्तको का वित्तीय दर अलग लिफाफे मे डालने के पश्चात दोनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे मे जमा करना होगा ।
2. अग्रधन राशि के रूप में 60,000/–(साठ हजार रूपये) मात्र की बैंक ड्राफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के पदनाम से जमा करना होगा, जो धनबाद में भुगतेय हो ।
3. पुस्तकों की आपूर्ति जिले के संबंधित संस्था में करनी होगी जिसके लिये अलग से परिवहन व्यय या कोई शुल्क देय नहीं होगा ।
4. निविदादाता द्वारा पुस्तकों पर अंकित मूल्य पर कितनी प्रतिशत की छुट दी जायेगी निविदा में उल्लेख करना होगा ।

वित्तीय निविदा निम्न प्रपत्र में समर्पित किया जाएगा :–

SlNo.	Name of Books (New Edition)	Author	Publisher	MRP Rate	Percentage of Discount	After Discount MRP
1	2	3	4	5	6	7

5. पुस्तक नई संस्करण एवं अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिये, पुस्तकों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
6. कार्यादेश मिलने पर पुस्तकों की आपूर्ति पन्द्रह दिन के अंदर करनी होगी।
7. निविदा को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा ।
8. आपूर्तिकर्ता को ससमय पुस्तकों की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में उनके प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायेगी ।
9. पुस्तकों की सूची कार्यालय मे 150/–(एक सै पचास) रुपये जमा कर नाजीर रसीद के साथ प्राप्त करना होगा।
10. निविदादाता व्यक्तिगत या उनका फर्म काली सूची में नहीं है इसका एक शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से प्राप्त कर तकनिकी निविदा में जमा करना होगा।
11. चरित्र प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी

12/09/15
जिला कल्याण पदाधिकारी,
11/9/15 धनबाद ।

11/09/15
उप विकास आयुक्त,
धनबाद ।